मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/ई–अनुज्ञा/ 1065 भोपाल, दिनाँक 31/12/2018

प्रति

1 संयुक्त/उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय – (समस्त)

2 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति–(समस्त)
म0प्र0

विषय :– प्रदेश भर की मण्डियों मे ई–अनुज्ञा प्रणाली लागू किए जाने के संबंध मे।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपज के निर्गमन हेतु ई–अनुज्ञा प्रणाली लागू किया जाना नियत किया गया था। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र क्रमांक/202/प्र.स./2018 दिनांक 30.12.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि "ई–अनुज्ञा प्रणाली का वैधानिक एवं विधिक परीक्षण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा ई–अनुज्ञा प्रणाली के विधिक परीक्षण उपरांत अनुमति प्रदान करने के उपरांत ही प्रदेश भर की मंडियो मे लागू किए जाने की कार्यवाही की जावे।"

2. अतः उपरोक्त निर्देश के अनुक्रम मे, आगामी आदेश तक पूर्वानुसार अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी जिसमे मैनुअल अनुज्ञापत्र जारी करने के पूर्व इसकी ई–अनुज्ञा पोर्टल पर प्रविष्टि पूर्ववत की जायेगी।

3. मण्डी फीस भुगतान–मण्डी अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान अनुसार, मण्डी फीस भुगतान के प्रमाणीकरण का एकमात्र अभिलेख अनुज्ञापत्र है। अतः मण्डी फीस के वास्तविक रूप से खाते मे जमा की पुष्टि होने के उपरांत ही अनुज्ञा पत्र जारी किये जायेगे।

4. उल्लेखनीय है कि प्रदेश की मंडियों मे चैक के माध्यम से मण्डी फीस प्राप्त होने की व्यवस्था प्रचलित है, जिसमे अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व, मण्डी फीस, वास्तविक रूप से मण्डी बैंक खाते मे जमा हो गई है अथवा नही, इसका आकलन संभव नही हो पा रहा है। कृषि उपज मण्डी समिति इंदौर मे इसकी विसंगतियां प्रकाश मे आयी है यह स्थिति अन्य मंडियो मे भी हो सकती है।

5. दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रस्तावित ई–अनुज्ञा प्रणाली मे व्यापारियो के लिए थर्ड पार्टी अनुज्ञापत्र, वाहन बदलने के संबंध मे प्रावधान, सौदा निरस्त होने के संबंध मे अनुज्ञापत्र निरस्ती जैसी आदि सुविधाये प्रस्तावित थी जो ई–अनुज्ञा प्रणाली के विधिक परीक्षण एवं शासन स्वीकृति की प्रकिया मे होने से वर्तमान मे उक्त सुविधाये प्रभावी नही होगी।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / नियमन / ई–अनुज्ञा / 1066 भोपाल, दिनाँक 31 / 12 / 2018

प्रतिलिपि :–

1/ अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
2/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।
3/ चीफ प्रोग्रामर, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4/ गार्ड फाइल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल